न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्षमण सिं
आई

अपील संख्या 199/2022

रामप्रताप पुत्र घडसी, जाति जाट, निवासी ग्राम अजाडी कलां, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0
—— अपी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
—— रेस्पो

——

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ बअदालत तहसीलदार झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामप्रताप, मु0न0 197 आदेश दिनांक 29.09.2022

——

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर उपस्थित।

आदेश

दिनांक 13.0

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 29.09.20 विरूद्व मय प्रा0प0 स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0 बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 स्वीकार किया जाता है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को जमीन खसरा नं0 91 रका 0.03 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता व खसरा नं0 64 रकबा 0.09 हैक्टर स्थित ग्राम अजाडी कलां, तहसील झु अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 64 रूपये कक अर्थ दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील अपीलान्ट की ओर से नीचे लिखे अनुसार पेश की जा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। पटवारी हल्का अ कलां द्वारा दिनांक 17.12.2021 को एकपक्षीय रूप से अपीलान्ट की गैर हाजिरी मे रिपोर्ट तैयार कर हुई है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 17.12.2021 मे नाजायज कब्जा के कॉलम मे तारबन्दी करने क अंकित कर पटवारी हल्का द्वारा अस्पष्ट व [illegible] पटवारी हल्का द्वारा तारबन्द जाने के संबंध मे विशेष तथ्य व तारबन्दी किस बाबत की [illegible] तथ्य दर्ज नही कर अपूर्ण बनाकर प्रस्तुत होने के बावजूद अदालत मा[illegible] रूप से प्रकरण द आदेश जैर बहस पारित किया है। अपीलान्ट विरूद्व दफा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 19 प्रावधान लागू नही होते है। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। अप्रार्थी द्वारा अदालत मातहत का जबाब प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी ने गत खसरा नं0 21[illegible] तादादी 20 बीघा 3 बिस्वा [illegible] बीघा 10 बिस्वा खाम जमीन तारूराम पुत्र गणपतराम से दिनांक 26.06.1968 को जरिये रजिस्टर्ड विक्र खरीदी थी। गत खसरा नं0 219 की जो सीमा थी वह सीमा आज भी कायम है। अप्रार्थी ने जो भूमि की थी व विक्रेता ने जिसका कब्जा अप्रार्थी को दिया था उसी भूमि पर अप्रार्थी भूमि खरीदने से लेकर दिनांक तक कायम है। अप्रार्थी ने कभी कोई सीमा अपने खेत की नही बढाई। गत खसरा नं0 21 अप्रार्थी व तारूराम ने विभाजन कर लिया तथा विभाजन के बाद हाल खसरा नं0 92 रकबा 0.81 अप्रार्थी के खातेदारी काश्तकार मे दर्ज चला आ रहा है। अप्रार्थी की इस खातेदारी जमीन की उत्तरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.15 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

मे कदीमी रास्ता था जो राजस्व रिकार्ड मे खसरा नं0 91 गै0मु0 रास्ता के रूप मे दर्ज है तथा मौके पर आज भी वहीं कायम है। अप्रार्थी ने हाल खसरा नं0 91 गै0मु0 रास्ते की भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नही किया है तथा रास्ते पर ही कभी अतिक्रमण नही किया है तो जोहड पर अतिक्रमण नही किया है तथा रास्ते के पश्चिम मे गै0मु0 जोहड खसरा नं0 64 स्थित है। जब अप्रार्थी ने रास्ते पर कभी अतिकमण नही किया है तो जोहड पर अतिक्रमण करने का सवाल ही पैदा नही होता है। क्योंकि जोहड की भूमि से पहले अप्रार्थी की भूमि की ओर उक्त खसरा नं0 91 रास्ता पडता है। पहले अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं0 92 की उत्तरी व पश्चिमी सीमा पर बाड थी जिसे हटाकर अप्रार्थी ने अपने खेत के चारों तरफ रास्ते की तरफ अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि मे पशुओं से अपनी काश्त को बचाने के लिए तारबन्दी कर रखी है तथा अप्रार्थी की कृषि भूमि हाल खसरा नं0 92 रकबा 0.81 हैक्टर की खातेदारी जो अप्रार्थी के नाम दर्ज है। अप्रार्थी की खातेदारी जमीन की कोई नपति पटवारी हल्का द्वारा नही की गई तथा पटवारी हल्का ने जानबूझकर इरादतन अप्रार्थी को हैरान व पेरशान करने की गर्ज से पटवार घर मे बैठकर गलत व झूठी रिपोर्ट तैयार की है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस व जबाब मे वर्णित बिन्दू सीमा विवाद के विषय को नजरअंदाज कर आदेश जैर बहस पारित किया गया है। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नही है। आदेश जैर बहस के आधार पर मनमाने है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है जो साबित भी नही की गई है। अपीलान्ट ने किसी प्रकार से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट के स्वयं के खेत की सीमा पर खेत की सुरक्षा के लिए तारबन्दी कर रखी है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व से रही सीमा पर तारबन्दी की गई है। अपीलान्ट की मौजूदगी मे पटवारी हल्का ने तथाकथित अतिकमण स्थल का कोई नाप नही किया है। तथाकथित नाप एकपक्षीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत के आदेश जैर बहस दिनांक 29.09.222 को अपास्त किया जावे। अपीलान्ट विकल्प मे यह निवेदन करता है कि अदालत मातहत को आदेश दिया जावे अपीलान्ट के खेत व खसरा नम्बर 91 व 64 के मध्य की सीमा का अपीलान्ट की उपस्थिति मे सीमाज्ञान किया जाकर अपीलान्ट को सीमाज्ञान की प्रति देकर सूचित किया जावे जिससे अपीलान्ट मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट व नपति के आधार पर स्वयं के खेत की सीमा पर तारबन्दी कर सके।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का अजाडी कलां द्वारा दिनांक 17.12.2021 को एकपक्षीय रूप से अपीलान्ट की गैर हाजिरी मे रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत हुई है। अपीलान्ट अतिकमी नही है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष नोटिस का जबाब प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी ने गत खसरा नं0 219 तादादी 20 बीघा 3 बिश्वा पुख्ता मे से 7 बीघा 10 बिश्वा खाम जमीन तारूराम पुत्र गणपतराम से दिनांक 26.06.1968 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीदी थी। गत खसरा नं0 219 की जो सीमा थी वह सीमा आज भी कायम है। अप्रार्थी ने जो भूमि कय की थी व विकेता ने जिसका कब्जा अप्रार्थी को दिया था उसी भूमि पर अप्रार्थी भूमि खरीदने से लेकर आज दिनांक तक कायम है। अप्रार्थी ने कभी कोई सीमा अपने खेत की नही बढाई। गत खसरा नं0 219 को अप्रार्थी व तारूराम ने विभाजन कर लिया तथा विभाजन के बाद हाल खसरा नं0 92 रकबा 0.81 हैक्टर अप्रार्थी के खातेदारी काश्तकार मे दर्ज चला आ रहा है। अप्रार्थी की इस खातेदारी जमीन की उत्तरी सीमा मे कदीमी रास्ता था जो राजस्व रिकार्ड मे खसरा नं0 91 गै0मु0 रास्ता के रूप मे दर्ज है तथा मौके पर आज भी वहीं कायम है। अप्रार्थी ने हाल खसरा नं0 91 गै0मु0 रास्ते की भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नही किया है तथा रास्ते पर ही कभी अतिक्रमण नही किया है तो जोहड पर अतिक्रमण नही किया है तथा रास्ते के पश्चिम मे गै0मु0 जोहड खसरा नं0 64 स्थित है। जब अप्रार्थी ने रास्ते पर कभी अतिकमण नही किया है तो जोहड पर अतिक्रमण करने का सवाल ही पैदा नही होता है। क्योंकि जोहड की भूमि से पहले अप्रार्थी की भूमि की ओर उक्त खसरा नं0 91 रास्ता पडता है। पहले अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं0 92 की उत्तरी व पश्चिमी सीमा पर बाड थी जिसे हटाकर अप्रार्थी ने अपने खेत के चारों तरफ रास्ते की तरफ अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि मे पशुओं से अपनी काश्त को बचाने के लिए तारबन्दी कर रखी है तथा अप्रार्थी की कृषि भूमि हाल खसरा नं0 92 रकबा 0.81 हैक्टर की खातेदारी जो अप्रार्थी के नाम दर्ज है। अप्रार्थी की खातेदारी जमीन की कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.15 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

नपति पटवारी हल्का द्वारा नही की गई है। अपीलान्ट के स्वयं के खेत की सीमा पर खेत की
लिए तारबन्दी कर रखी है। अपीलान्ट की मौजूदगी मे पटवारी हल्का ने तथाकथित अतिकमण
कोई नाप नही किया है। अत अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत के आदेश
दिनांक 29.09.222 को अपास्त किया जावे। अपीलान्ट विकल्प मे यह निवेदन करता है कि अदालत
को आदेश दिया जावे अपीलान्ट के खेत व खसरा नम्बर 91 व 64 के मध्य की सीमा का अपी
उपस्थिति मे सीमाज्ञान किया जाकर अपीलान्ट को सीमाज्ञान की प्रति देकर सूचित किया जावे
अपीलान्ट मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट व नपति के आधार पर स्वयं के खेत की सीमा पर तारबन्दी क

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते
प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम अजाडी कलां स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0
किस्म गैर मुमकिन रास्ता मे से 0.03 है एवं खसरा नम्बर 64 रकबा 12.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 जो
0.09 हैक्टर कुल 0.12 है0 भूमि पर तारबन्दी व बाड बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। विवादित
किस्म गै0मु0 जोहड व गै0मु0 रास्ता है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार
अदालत मातहत मे अपीलान्ट की जबाब देही हुई है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत
अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया।
ने ग्राम अजाडी कलां स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन
से 0.03 है एवं खसरा नम्बर 64 रकबा 12.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड मे से 0.09 हैक्टर कुल
भूमि पर तारबन्दी व बाड बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 जोहड
रास्ता है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। इस प्रकार की
अपीलान्ट का अतिक्रमण वैध नही माना जा सकता है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निष
किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपी
अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2022 यथावत रखा जि
है। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित
आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें
निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.15 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कु
जिला कलक्टर